न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी धोरीमन्ना (जिला–बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या : 117/2020

प्रार्थी

1. जोगाराम पुत्र वगताराम उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी सरदारपुरा दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना।
2. धुड़ाराम पुत्र चिमाराम
3. मुली देवी पत्नी चिमाराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा, दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्त करने बाबत्।

तारिख रजू : 20.10.2020

अधिवक्ता

01. श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी
02. पैराकार सरकार
03. श्री बलवंतसिंह चौधारी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02 व 03

–: : निर्णय : :–

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

दिनांक : 03.09.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्त करने का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 269 रकबा 203–14 बीघा किस्म बारनी दोयम का मौजा सरदारपुरा पटवार हल्का दूधू तहसील धोरीमन्ना में आया हुआ था कि जिसमें वक्त सेटलमेन्ट से आम रास्ता खसरा नम्बर 311 के पास स्थित मुकनतला [illegible] फाटा जाने वाली मुख्य डाम्बर सड़क के पास खसरा संख्या 311/2 रा0 प्रा0 [illegible] मेघवालों की बस्ती दूधू से प्रार्थी के खेत तक चल रहा था जिसमें प्रार्थी [illegible] परिवार व सह खातेदारों के परिवार व बच्चे स्कुल जाने व सड़क तक आने जाने के लिये अनवरत रूप [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:02:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

रास्ते का उपभोग करते [illegible] रहे है परंतु वक्त संटलमेन्ट अधिकारीयों के भुल के कारण उक्त रास्ता राज[illegible] हो सका। कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा संख्या [illegible] 311 में चलने वाला रास्ता को आसान तरीके [illegible] प्रार्थना पत्र के साथ अभिन्न अंग के रूप में पेश नजरीये नक्शा में उतर पश्चिम की तरफ मुकनतला से धोलीया फांटा जाने वाली डाम्बर सड़क के पास स्थित खसरा संख्या 311 में स्कुल के खसरा सख्या 311/2 के पास स्थित बिन्दु ई से बिन्दु डी में खसरा संख्या 370 में रास्ता प्रविष्ट होता है तथा डी से ए बिन्दु तक तथा "ए" से "बी" बिन्दु तक रास्ता वर्षो से चला आ रहा है। जो वर्ष 2013 में मौके पर मौजुद रास्ते अनुसार आम सहमति से समर्पित कर श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा खसरा संख्या 270 में कुल रकबा 95 बीघा में से 3–00 बीघा भूमि समर्पण आदेश क्रमांक 3338–40 दिनांक 02/07/2013 के द्वारा समर्पण आदेश के साथ प्रस्तुत नक्शा दस्तावेज क्रमांक 1114 दिनांक 02/07/2013 के अनुसार स्पष्ट रूप से उक्त रास्ता प्रार्थी के सेढे पर उत्तर दिशा में मिलाया हुआ है उसी के आधार पर नामान्तरकारण संख्या 13 में नवसृजित खसरा व मुल खसरा को अंकित करते हुऐ पारित किया तथा उक्त नामान्तरकरण में रास्ते को प्रविष्ट कर पुश्त पर बनाये नक्शे अनुसार लट्ठा ट्रेस में खसरा संख्या 270/1 रकबा 3–00 बीघा का तरमीम सलग्न नक्शे में "ए" से "बी" जगह पर किया गया जो वर्ष 2013 से 2020 तक अनवरत रूप से समर्पण आदेश, नामान्तरकरण पंजिकां में दर्ज रास्ते अनुसार लठा ट्रेस में तरमिम की हुई थी जिस अनुसार नजरीये नक्शा में बिन्दु ए से बी जगह पर तरमिम होने से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 269 के उतरी भाग में बिन्दु एफ से बी जगह पर प्रार्थी के सेढे पर सरकारी रास्ता आया हुआ था। कि कुछ माह पूर्व पंचायती राज चुनाव 2020 में हल्का पटवारी के कहे अनुसार प्रार्थी द्वारा वोट नही देने का संदेह होने पर प्रार्थी की सेढा–सेढ स्थित काटाण मार्ग नजरीये नक्शा में ए से बी जो राज्य सरकार की भूमि है में हल्का पटवारी द्वारा रंजीश वश ए से बी जगह पर स्थित सरकारी कटाण को वाइटनर से लठा ट्रेस में तरमिम की लाईन को हटाकर नई जगह ए से सी तक तरमिम कर दी। ताकि हमारे खेत के सेढे पर स्थित कटाण मार्ग को हमारे सेढे से दुर कर सकें जब की किसी भी लठा ट्रेस में सरकारी तरमिम भूमि जो गैरमुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज हो उसे निरस्त करने का अधिकार किसी भी राजस्व कर्मचारी के पास नही है तथा न ही सरकारी गैरमूमकिन रास्ता को कोई हटा सकता है न ही उक्त तरमिम को बिना डिग्री पर्चे के बदलने का हल्का पटवारी को कोई अधिकार नही है इसीलिये तात्कालीक

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:02:10 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

हल्का पटवारी ने अपने पदीय हैसियत का दुरूपयोग कर राजस्थान काश्तकारी व भू–राजस्व अधिनियम का घोर उलघंन किया है इसीलिए हल्का पटवारी द्वारा गैरमुमकिन रास्ता में बिना किसी आदेश की गई कांटछांट शुरू से ही शुन्य होने से उक्त गैरमूमकिन रास्ता समर्पण आदेश व नामान्तरकरण में पृष्ठ भाग पर दर्ज तरमिम व लठा ट्रेस में वाइटनर से काटि गई तरमिम शुन्य होने से पुनः दुरस्त करवाने के अधिकारी है। इसीलिये नजरीये नक्शा में दर्ज बिन्दु ए से सी की जगह तरमिम को हटाकर पुर्व आदेश अनुसार बिन्दु ए से बी जगह पर लठा ट्रेस में खसरा संख्या 270/1 की तरमिम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। कि प्रार्थी ने दिनांक 01/10/2020 को हल्का पटवारी से नक्शा व जमाबन्दी की नकले प्राप्त की तब प्रार्थी को तरमीम गलत होने की जानकारी हुई तथा हल्का पटवारी से इस तरमीम को शुद्ध करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी को बताया की कुछ माह पुर्व तात्कालीक कार्यवाहक हल्का पटवारी ने कांटछांट की है जिसे सक्षम अधिकारी से आदेश करवाकर दुरस्त किया जाना न्यायोचित है क्योकि हल्का पटवारी किसी भी तरमिम को बिना आदेश बदल नही सकता इसीलिए उक्त दुरस्ती हेतु श्रीमान के समक्ष राजस्व आवेदन पेश कर दुरस्त करवाने की सलाह दी तब प्रार्थी ने तरमीम दुरस्ती हेतू उक्त राजस्व आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश किया है। कि प्रार्थी के खेत के सेढे पर स्थित गैर मूमकिन रास्ते को बिना किसी आदेश हटा देने से प्रार्थी का सुखाधिकार अवैध रूप से बाधित हुआ जब की गैर मुमकिन रास्ता को प्रार्थी को बिना सुने एक तरफा अवैधानिक रूप से कांटछांट करने से प्रार्थी का हक प्रभावित होने से प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी है तथा विप्रार्थी भूमिपति होने से तथा प्रार्थी के सेढे पर स्थित आम रास्ता विप्रार्थी के आदेश से बना होने से तथा न्यायालय के आदेश की पालना करने हेतु व अवैधानिक रूप से कांटछांट करने वाला विप्रार्थी का अधिनस्थ कर्मचारी होने से विप्रार्थी पक्षकार बनाया है। कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम का होने से न्याय षुल्क के रूप में 02 रूपयें का मुद्रांक पेश है। कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सरदारपुरा दुधू तहसील धोरीमन्ना मे होने से आवेदन श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में है तथा उक्त अवैधानिक कांटछांट लॉकडाउन के समय की गयी होने से अंदर म्याद पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:32:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] एवं अप्रार्थी का जरिए रजि. डाक ए.डी. से नोटिस [illegible] विप्रार्थी [illegible] की ओर से [illegible] सरकार उपस्थित हुए दौराने विचारण वर्ष 2021 में विप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवता द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया जिसका

उपखण्ड अधिकारी जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

जवाब देने पर बहस सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संसोधित शिर्षक प्राप्त किया गया तथा विप्रार्थी संख्या 02 व 03 से जवाब प्राप्त किया गया न्यायालय ने दिनांक 11.04.2023 को विप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार धोरीमन्ना से प्रार्थना पत्र का जवाब व उक्त राजस्व आवेदन में मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की जिस पर विप्रार्थी तहसीलदार ने एक रिपोर्ट मौके की जांच कर पेश की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सरदारपुरा में खसरा संख्या 311 से होता हुआ रास्ता खसरा संख्या 270 में समर्पण किया हुआ है जो समर्पण आदेश दिनांक 02.07.2013 में विप्रार्थी के अंगुठो से पेश समर्पण में रास्ता खसरा संख्या 269 से लगता हुआ 273 को जोड़ा गया है तथा नामान्तरकरण संख्या 13 की पुष्ठ भाग पर अंकित नक्शे में भी इसी अनुसार तरमीम अंकित है तथा लट्ठा ट्रेस में भी तरमीम 269 को मध्य भाग में जोड़ते हुए की गई है जिस पर वाईटनर से उस लाईन को मिटाकर सीधा खसरा संख्या 273 को जोड़ा गया इस प्रकार समर्पित भूमि मौका रिपोर्ट के साथ पेश नजरिये नक्शा के अनुसार थी जिसे वाईटनर लगाकर बिना किसी आदेश बदल दी गई मौका रिपोर्ट पर विप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा आपति पेश की गई जो सामिल मिश्ल की गई मौका रिपोर्ट आपति व राजस्व आवेदन पर दोनो पक्षो की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी ने विप्रार्थी संख्या 02 व 03 तथा खसरा संख्या 311 के खातेदारो को संतुष्ट कर अपने खेत को जोड़ने हेतु समर्पण करवायी गई तथा आगे खसरा संख्या 273 को भी 269 के सेढे जोड़ा गया तथा वर्षो तक इसी रास्ते पर यानि वर्ष 2013 से 2020 तक तरमीम इसी जगह रही 2020 में तात्कालिक हल्का पटवारी ने रंजिश के कारण वाईटनर से लठ्ठा ट्रेस में छेड़छाड़ कर तरमीम बिना किसी आदेश बदल दी गई तथा उसी अनुसार ऑनलाईन दर्ज कर दी गई जो अनुचित है साथ ही समर्पण का नामान्तरकरण होते ही उक्त भूमि सरकारी भूमि होने से तथा प्रार्थी के रास्ते के रूप में होने से प्रार्थी का हित प्रभावित हो रहा है तथा सीधा खसरा संख्या 273 को जोड़ने से प्रार्थी रास्ते से वंचित रहा है तथा सरकारी भूमि की तरमीम को पटवारी को बदलने की कोई अधिकारीता नही थी तथा दस्तावेजो से छेड़छाड़ करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है तथा उक्त आराजी सरकारी भूमि होने से विप्रार्थी संख्या 02 व 03 का अधिकार वर्ष 2013 में ही समाप्त हो गया इसीलिए वर्ष 2013 के बाद उक्त खसरा संख्या 270/1 गै.मु. रास्ता में विप्रार्थी संख्या 02 व 03 का न तो कोई [illegible] है न ही 02 व 03 की तरमीम दुरस्ती के लिए सहमति आवश्यक है तथा [illegible] उनका कोई हित प्रभावित हो रहा है यदि विप्रार्थी 02 व 03 अन्य खातेदार को रास्ता देना चाहता है तो इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:02:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

समर्पित भूमि के अलावा अपनी खातेदारी भूमि में से देने के लिए स्वतन्त्र है इस सरकारी खसरे में किसी भ्ज्ञी प्रकार की दखलअंदाजी का अधिकार नही है तथा षड़यन्त्र पुर्वक दस्तावेजो में छेड़छाड़ कर खसरा की तरमीम बदलने से सरकारी भूमि नही बदली जा सकती इसीलिए नजरिये नक्शा अनुसार शुद्धि करना राजस्व रेकर्ड व भू धारक के हित में उचित रहेगा विप्रार्थी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता ने एक कानुनी नजिर पेश की तथा अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी को विप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा समर्पित भूमि में आवेदन पेश करने का अधिकार नही है तथा उक्त आवेदन केवल तहसीलदार ही पेश कर सकता है तथा धारा 131, 136 में दोनो पक्षकारो की बिना सहमति तरमीम दुरस्त नही की जा सकती है साथ ही उक्त मौका रिपोर्ट एकतरफा बनाई गई जिस पर विप्रार्थी संख्या 02 व 03 के हस्ताक्षर नही है तथा प्रार्थी को इस तरमीम को दुरस्त करवाने का कोई अधिकार नही है तथा उक्त भूमि विप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने अपनी सुविधा के लिए समर्पित की है जिससे प्रार्थी दुरस्त करवाने का अधिकारी नही है तथा मौके पर जहा तरमीम है वहा डामर सड़क मौजुद है इसीलिए अब तरमीम नही बदली जा सकती है इसीलिए उक्त आवेदन खारीज किया जावें।

न्यायालय ने दोनो पक्षो की बहस सुनी दस्तावेजो का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया मूल लठ्ठा ट्रेस हल्का पटवारी से तलब कर अवलोकन किया समर्पण नामा नामान्तरकरण व लठ्ठा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि उक्त समर्पण नामा की तरमीम समर्पणनामा के साथ पेश नक्शा अनुसार की गई जिसे बाद में वाईटनर से काटकर बदला गया जिसके सम्बंध में आदेश के बारे में किसी भी प्रकार का आदेश नही पाया गया इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि समर्पित सरकारी कटाण दर्ज होने के बाद लठ्ठा ट्रेस में छेड़छाड कर बदला गया जो अनुचित व अवैध है इसीलिए उसी अनुसार खसरा संख्या 270/1 की तरमीम दुरस्त किया जाना विधि समत है तथा जिस कर्मचारी ने इस लठ्ठा ट्रेस में छेड़छाड़ की उसकी जांच कर विभागीय कार्यवाही हेतु तहसीलदार को निर्देश दिया जाना विधि समत है साथ ही विप्रार्थी द्वारा पेश नजीर हस्तगत प्रकरण पर लागु नही होती है तथा स्पष्टत्या तरमीम में त्रुटि है जो अनुचित व अवैध है तथा उक्त प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना को उसी समय तत्काल दुरस्त करना विधि सम्मत था।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:02:10 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सरहद मौजा सरदारपुरा पटवार हल्का बूटू के [illegible] खसरा संख्या 270/1 रकबा .04856 हेक्टेयर की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम [illegible] ऑफलाईन लठ्ठा ट्रेस की

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

तरमीम को तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के साथ सलग्न नजरिये नक्शा अनुसार व नामान्तरकरण के साथ पेश नक्शा अनुसार दुरस्त किया जावें। इसी अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित एंव विधिसंगत समझते हैं।

–: : आदेश : :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्त करने का भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है।

01. कि सरहद मौजा सरदारपुरा पटवार हल्का दूधू के खेत खसरा संख्या 270/1 रकबा .04856 हेक्टेयर की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को ऑफलाईन लठ्ठा ट्रेस की तरमीम को तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के साथ सलग्न नजरिये नक्शा अनुसार व नामान्तरकरण के साथ पेश नक्शा अनुसार दुरस्त करने हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो।
02. कि तहसीलदार धोरीमन्ना तरमीम दुरस्ती अनुसार रेकर्ड में व नक्शे में दुरस्त की जावें तथा उक्त लठ्ठा ट्रेस में बिना आदेश तरमीम बदलने की जांच कर दोषी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तार हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्र सिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:02:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner